8

आपदा से पीड़ित परिवारों को अनुदान

(Assistance For Affected Persons From Natural Calamity)

केन्द्र सरकार द्वारा प्राकृतिक आपदा यथा- बज्रपात अथवा ओला गिरने से मृत व्यक्ति, अग्निकांड से मृत व्यक्ति, तूफान या भूकम्प के कारण मृत अथवा बाढ़ या अग्निकांड के कारण मृत व्यक्ति के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान दिए जाने का प्रावधान है।

निम्नलिखित कारणों से मृत्यु होने पर मृतक के आश्रितों को अनुग्रह अनदुान मिलेगा :-(1) बज्रपात/ ओलापात, (2) अग्निकांड, (3) तूफान, (4) बाढ़। बाढ़, भूकम्प या तूफान के कारण नाव दुर्घटना होने अथवा दीवार गिरने के कारण हुई मृत्यु के स्थिति में मृत व्यक्ति के आश्रितों को साहाय्य मद से अनुग्रह अनुदान दिये जाते हैं।

सामान्य स्थिति में पानी में डूबने से हुए अकाल मृत्यु के मामले में मृत व्यक्ति के आश्रितों को साहाय्य मद के द्वारा कोई अनुग्रह अनुदान देय नहीं है। निम्नलिखित कारणों से मृत्यु होने पर सहाय्य मद से अनुदान नहीं मिलेगा :-

(1) सामान्य स्थिति में पानी में डूबने से मृत्यु, (2) विद्युत स्पर्शाघात से मृत्यु, (3) सर्प (सांप) के काटने से मृत्यु।

स्पष्ट है कि साहाय्य मद से अनुदान केवल प्राकृतिक आपदा के कारण हुए मृत्यु अर्थात मृत्यु का सीधा कारण प्राकृतिक आपदा होने पर ही दिए जाते हैं। बाढ़ के अतिरिक्त अन्य समय में नाव दुर्घटना तथा दीवार के गिरने से हुई मृत्यु की स्थिति में मृत व्यक्ति के आश्रितों को साहाय्य मद से कोई साहाय्य राशि नहीं दिये जाते हैं।

केन्द्र सरकार के आपदा राहत कोष (सी.आर.एफ)एवं राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि(एन.सी.सी.एफ) द्वारा जारी निर्देशों के तहत वर्ष 2005 से 2010 तक के लिए प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों के बीच विभिन्न मदों में 27.06.2007 के प्रभाव से निम्न प्रकार साहाय्य वितरण किये जाने का प्रावधान है।

1. क) (I) आपदा से मृत्यु होने पर मृतक के आश्रित को अनुदान - एक लाख रूपये

(II) आपदा के समय साहाय्य तैयारी या पूर्व तैयारी में लगे सरकारी कर्मी/साहाय्य कर्मी की मृत्यु होने पर आश्रित को अनुदान - एक लाख रूपये

ख) हाथ-पैर या आंखों के क्षति होने पर प्रति व्यक्ति अनुग्रह अनुदान का भुगतान

- 40 प्रतिशत के बीच विकलांगता होने पर - 35,000 रूपये

- 75 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के बीच विकलांगता होने पर - 50,000 रूपये

ग) यदि गंभीर चोट के कारण अस्पताल में भर्ती होना पड़े तो

- एक सप्ताह से अधिक अस्पताल में भर्ती रहने पर - 7500 रूपये

- एक सप्ताह से कम अस्पताल में भर्ती रहने पर - 2500 रूपये

घ) वृद्ध, अपाहिज के लिए अनुदान - 20 रूपये प्रति व्यस्क प्रतिदिन

नि:सहाय बच्चों के लिए अनुदान - 15 रूपये प्रति बच्चा प्रति दिन

ड़) आपदा से घर बह जाने, एक सप्ताह से अधिक जलप्लावित रहने या आपदा से पूर्णतया क्षतिग्रस्त होने पर अनुदान

- कपड़ा के लिए - 1000 रूपये प्रति परिवार
- बर्त्तन / घरेलू सामान के लिए - 1000 रूपये प्रति परिवार

च) आपदा से पीड़ित एवं खाद्यान्न का अभाव झेल रहे अति जरूरतमंद परिवारों को निम्न रूप में अवधि वार 2/- रूपये प्रति व्यस्क एवं 15 रूपये प्रति बच्चा प्रतिदिन अनुदान दिया जाता है :-

- टिड्डी एवं दांतों से कुतरने वाले जन्तु का संत्रास - 15 दिनों तक

- उपरोक्त संत्रास की स्थिति में सी.आर.एस. से सहायता हेतु राज्य स्तरीय समिति की स्वीकृति से - अधिकतम 30 दिनों तक ।

- उपरोक्त संत्रास की स्थिति में एन.सी.सी.एफ से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय समिति के आकलन के आधार पर - अधिकतम 60 दिनों तक।

- भयंकर सूखा / कीट आक्रमण की स्थिति में - 90 दिनों तक।

- सूखा या कीट आक्रमण 90 दिनों के बाद बरकार रहे तो राज्य स्तरीय समिति सी.आर.एफ के मानदर से राहत की अवधि बढ़ा सकती है।

उपरोक्त सभी प्रकार के पीड़ित परिवारों को 2 रूपये प्रति व्यक्ति या आई.सी.डी.एस. के मानदर के अनुसार पूरक पोषाहार हेतु अनुदान या खाद्यान्न दिया जाता है।

2. आपदा से क्षतिग्रस्त फसल के लिए लघु / सीमांत किसानों को अनुदान :-

क) बालू/सिल्ट का जमाव 3'' से अधिक हो तथा राज्य सरकार के सक्षम अधिकारी सत्यापित करें तो - 6000/- रूपये प्रति हेक्टेयर

ख) कृषि भूमि का डिसिल्टिंग के लिए - 6000 रूपये प्रति हेक्टेयर

ग) पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि भूमि से मलवा हटाने हेतु - 6000/- रूपये प्रति हेक्टेयर

घ) मछली फार्मों का डिसिल्टिंग / पुनर्स्थापन / मरम्मति हेतु -

- लघु एवं सीमांत कृषकों की जमीन को भूस्खलन / बर्फ का पहाड़ खिसकने से या नदियों के मार्ग बदलने से हुई क्षति के लिए अनुदान - 15 हजार प्रति हेक्टेयर

ङ) 50 प्रतिशत या उससे अधिक फसल की क्षति होने पर कृषि इनपुट सब्सिडी :-

I) कृषि फसल / रोपने वाले फसल / बागवानी फसलें एवं वार्षिक वृक्षारोपन वाले फसल की क्षति होने पर

- वर्षा आधारित फसल क्षेत्र के लिए 2000/- रूपये प्रति हेक्टेयर
- सुनिश्चित सिंचाई वाले क्षेत्र की फसल के लिए -4000 रूपये (बिना बुआई वाले या परती पड़े कृषि योग्य जमीन के लिए मुआवजा नहीं)
- छोटी जमीन वाले किसानों को सहाय्य राशि - न्यूनतम 250/- रूपये।

II) बहुवर्षीय फसल की क्षति के लिए - 6000 रूपये प्रति हेक्टेयर

[नोट :- बिना बुआई वाले या परती कृषि भूमि के लिए इनपुट सब्सिडी नहीं एवं छोटी जोत वाले छोटे किसानों को भी 500 रूपये से कम राहत नहीं।]

3. लघु एवं सीमांत कृषकों से भिन्न कृषकों को कृषि इनपुट सब्सिडी

(50 प्रतिशत या उससे अधिक फसल क्षति होने पर अधिकतम 2 हेक्टेयर प्रति कृषक)

- 2000/- रूपये प्रति हेक्टेयर (वर्षा आधारित फसल क्षेत्र के लिए)
- 4000/- रूपये प्रति हेक्टेयर (सुनिश्चित सिंचाई आधारित फसल के लिए)
- 6000/- रूपये प्रति हेक्टेयर (बहुवर्षीय फसलों के लिए)

(बिना बुआई वाले या परती कृषि भूमि के लिए इनपुट सब्सिडी वर्जित है।)

4. लघु एवं सीमांत रेशम कीट पालक किसानों के लिए साहाय्य अनुदान :-

- इरी, मलवरी एवं तसर की क्षति के लिए - 2000 रूपये प्रति हेक्टेयर

- मूंगा की क्षति के लिए - 2500 रूपये प्रति हेक्टेयर

5. आपदा प्रभावित क्षेत्रों में इच्छुक ग्रामीण परिवारों के एक-एक सदस्य को न्यूनतम मजदूरी के तहत काम देने हेतु रोजगार सृजन संबंधी योजना अंतर्गत निधि उपलब्ध कराना

न्यूनतम मजदूरी संबंधित अधिसूचित अकुशल श्रमिकों को राहत कोष से प्रति व्यक्ति 8 किलोग्राम गेहूँ या 5 किलोग्राम चावल प्रति व्यक्ति प्रतिदिन - न्यूनतम मजदूरी का शेष भाग नगद होगा जो न्यूनतम मजदूरी के 25 प्रतिशत से कम नहीं होगा।

6. I) लघु एवं सीमांत कृषकों / खेतिहर कृषकों के मवेशियों (पशुओं) की आपदा से क्षति होने पर पशुओं के प्रतिस्थापन हेतु साहाय्य राशि :-

दुधारू जानवर के लिए यथा (I) भैंस / गाय / ऊंट / याक इत्यादि - 10 हजार रूपये

(II) भेंड़ / बकरी - 1000 रूपये की दर से ।

दुध नहीं देने वाले जानवर (खेती या ढुलाई में उपयोगी) के लिए

I) ऊंट / घोड़ा / बैल इत्यादि - 10 हजार रूपये की दर से ।

II) बछड़ा / गदहा और टट्टू - 5,000/- रूपये की दर से ।

ध्यान रहे कि राहत राशि उत्पादक जानवरों की वास्तविक क्षति के अनुसार सीमित होगी जो एक बड़े दुधारू / अदुग्धकारी जानवर या 4 छोटे दुधारू जानवर / दो छोटे अदुग्धकारी जानवर प्रति परिवार तक सीलिंग के अंतर्गत होगी अर्थात पशुओं की क्षति के लिए एक परिवार को अधिकतम साहाय्य राशि 10,000 रूपये तक होगी। पॉल्ट्री में प्रति चिड़ियां के दर से ऐसे प्रत्येक लाभुक को अधिकतम 300 रूपये की सीमा के भीतर साहाय्य राशि मिलेगी।

III) पशु शिविरों में पशु चारा -

बड़ा पशु - 20 रूपये प्रति दिन प्रति पशु की दर से ।

छोटा पशु - 10 रूपये प्रति दिन प्रति पशु की दर से ।

सहायता अवधि - सूखा से भिन्न आपदाओं के लिए - 15 दिनों तक, सूखा की स्थिति में - 60 दिनों तक

प्रचण्ड सूखा की स्थिति में - 90 दिनों तक

राज्य स्तरीय समिति की अनुशंसा पर 90 दिनों से अधिक भी। (इसके अतिरिक्त मवेशियों

के लिए जलापूर्ति कराने का भी प्रावधान है।)

7. मछुआरों के रोजगार संबंधी परिसम्पत्ति के नुकसान होने पर साहाय्य :-

क) नाव एवं जाल के क्षतिग्रस्त होने पर मरम्मति या खो जाने पर पुनर्स्थापन हेतु-नाव, डोंगी, मस्तल से चलने वाले जलयान एवं जाल आदि के आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने पर - 2500 रूपये का अनुदान

- पूर्णत: क्षतिग्रस्त होने या जाल के प्रतिस्थापन के लिए - 7500 रूपये

ख) आपदा से मछली का जीरा के नुकसान पर अनुदान - 4000 रूपये प्रति हेक्टेयर

यदि लाभुक सरकार के किसी अन्य योजना के तहत योग्य हैं या सरकार द्वारा आपदा के लिए अनुदान / सहायता प्राप्त कर लिये हैं तो उन्हें यह सहायता नहीं दिया जाएगा। यही नहीं, यदि एक बार पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग, कृषि मंत्रालय की योजना से अनुदान लिया हो तो उसे साहाय्य राशि नहीं मिलेगी।

8. हस्तशिल्प / हस्तकरघा के शिल्पियों को क्षतिग्रस्त उपकरणों के मरम्मति एवं पुनर्स्थापन हेतु अनुदान

क) हस्तशिल्प के परम्परागत शिल्पी के क्षतिग्रस्त उपकरण के पुनर्स्थापन - 2000 रूपये प्रति शिल्पी ।

- उनके तैयार माल / कच्चे माल / प्रक्रियाधीन माल की क्षति के लिए - 2000 रूपये प्रति शिल्पी

ख) हस्तकरघा बुनकरों को नुकसान होने पर अनुदान :-

I)- करघा उपकरणों और पार्ट - पुर्जो की मरम्मति हेतु - 1000 रूपये प्रति हस्तकरघा।

- करघा उपकरणों और पार्ट - पुर्जो के पुनर्स्थापन हेतु - 2000 रूपये प्रति हस्तकरघा

II) सूत एवं अन्य सामग्रियों यथा रंग, रसायन और तैयार भंडारों की खरीद के लिए - 2000 रूपये प्रति हस्तकरघा

9. क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मति और पुनर्स्थापन हेतु सहायता

क) पूर्णतया क्षतिग्रस्त / बर्बाद मकान के लिए सहायता

I) पक्का मकान के लिए - 25,000 रूपये प्रति मकान

II) कच्चा मकान - 10,000 रूपये प्रति मकान

ख) आपदा से अत्यधिक क्षतिग्रस्त मकान के लिए सहायता

I) पक्का मकान के लिए - 5,000 रूपये प्रति मकान

II) कच्चा मकान के लिए - 2,500 रूपये प्रति मकान

ग) आंशिक रूप से क्षतिग्रसत मकान के लिए सहायता :- पक्का / कच्चा दोनों (झोपड़ी को छोड़कर) - 1500 रूपये प्रति मकान

घ. झोपड़ी के क्षतिग्रस्त / बर्बाद होने पर - 2000 रूपये प्रति मकान

10. अग्निकांड से क्षति होने पर पीड़ित व्यक्ति या परिवार को सहायता उसी प्रकार दी जाएगी जिस तरह अन्य अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं के पश्चात क्षति / जीवन, अंग, फसल, सम्पत्ति इत्यादि के हानि में भुगतान के लिए निर्धारित है।

- जंगल में लगी आग से संबंधित घटना पर्यावरण और वन मंत्रालय की योजना "समन्वित वन संरक्षण योजना " से आच्छादित होगा।

- जंगल की आग से हुए क्षति, जीवन, अंग-भंग, फसल और साहाय्य अनुदान अनुमान्य होगा जिस प्रकार अन्य अधिसूचित प्राकृतिक आपदा के मामले में मानदर अनुमान्य है क्योंकि इस प्रकार की हानि समन्वित वन संरक्षण योजना के अंतर्गत आच्छादित नहीं है।

- ध्यान रहे कि औद्योगिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठान में अग्निकांड की घटना को बीमा योजना के अंतर्गत आच्छादित की जाए अर्थात साहाय्य अनुमान्य नहीं है।

11. बाढ़ प्रभावित परिवारों के बीच एक क्विंटल मुफ्त खाद्यान्न (50 किलो गेहूँ एवं 50 किलोग्राम चावल) के वितरण करने संबंधी पूर्व में जारी निर्देश पूर्ववत् लागू रहेगा।

नोट :- २७.०६.२००७ के पूर्व में लागू सभी आदेश निरस्त कर दिए गए हैं।

संदर्भ :- भारत सरकार के पत्रांक 32-34/2005/एन.डी.एम. दिनांक 27.06.2007 द्वारा निर्धारित एवं अद्यतन संशोधित मानदर वर्ष 2005 से 2010 तक के लिए लागू है जो सभी राज्यों में 27.06.2007 के प्रभाव से लागू हैं तथा केन्द्रीय आपदा राहत कोष से उसी के प्रावधान के अनुसार व्यय किया जाएगा। इस क्रम में बिहार में आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक प्रा. आ. - 36/2002-2462 दिनांक 12.08.2007 द्वारा उपरोक्त प्रावधान अधिसूचित किए गए हैं।

9

अग्निकांड के पीड़ितों को साहाय्य सामग्री

(Relief For Fire Affected Families)

भारत सरकार के आपदा निर्धारित साहाय्य मानदर के आलोक में राहत कोष (सी.आर.एफ) एवं राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एन.सी.सी.एफ) के तहत अग्निकांड के रूप में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों को घटना घटित होने के 24 घंटे के भीतर राहत मुहैया कराना सुनिश्चित किया जाना है। घटना की सूचना मिलते ही अंचलाधिकारी को तुरन्त घटना स्थल पर पहुंचना चाहिए एवं जिला / अनुमंडल स्तर के पदाधिकारियों को प्रतिन्युक्त किया जाना निर्धारित है

अग्निकांड के कारण घायल या मृत्यु होने पर

आश्रितों को अनुदान :- (2005-2010 तक लागू एवं 27.06.07 से प्रभावी)

1. अग्निकांड से हुई मृत्यु के कारण अनुग्रह अनुदान	- एक लाख रूपये प्रति मृतक (मृत्यु प्रमाण पत्र में मृत्यु के कारण आपदा का उल्लेख हो)
2. अग्निकांड के कारण विकलांग होने (अंग-भंग होने की स्थिति में)	- 35,000 रूपये प्रति व्यक्ति (40 प्रतिशत से अधिक विकलांग होने पर 50,000 रूपये प्रति व्यक्ति)

(हाथ / पैर आदि की विकलांगता 75 प्रतिशत से अधिक विकलांगता होने पर सरकारी चिकित्सक या चिकित्सा परिषद द्वारा प्रमाण पत्र दिये जाने पर साहाय्य लेने के हकदार)

1. अग्निकांड से गंभीर रूप से घायल होने पर अनुदान	- 7500/- रूपये प्रति व्यक्ति अनुदान - (एक सप्ताह से अधिक अस्पताल में भर्ती रहने पर) 2500 रूपये प्रति व्यक्ति (एक सप्ताह से कम हॉस्पीटल में रहने पर)
2. खाद्यान्न के रूप में राहत	- 50 किलोग्राम (25 किलो गेहूँ एवं 25 किलोग्राम चावल)
3. वस्त्र जलने पर	- 1000 रूपये प्रति परिवार अनुदान

4. बर्त्तन जलने पर - 1000 रूपये प्रति परिवार अनुदान

पूर्णतः अतिग्रस्त मकानों की मरम्मति हेतु आर्थिक सहायता :- अग्निकांड के कारण जब मकान की मरम्मति संभव नहीं हो तो पुनर्निर्माण करने हेतु अनुदान :-

1. पक्का मकान की क्षति - 25,000 रूपये प्रति मकान
2. कच्चा मकान की क्षति - 10,000 रूपये प्रति मकान

मकान के अत्यधिक क्षतिग्रस्त होने पर आर्थिक सहायता :-

1. पक्का मकान की क्षति - 5,000 रूपये प्रति मकान
2. कच्चा मकान - 2500 रूपये प्रति मकान
3. आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान - 1500 रूपये प्रति मकान

पक्का-कच्चा दोनों (5%) के लिए सहायता

झोपड़ी झतिग्रस्त / बर्बाद 2,000 रूपये प्रति झोपड़ी

अंचलाधिकारी का दायित्व :- जब कभी अग्निकांड हो तो वे अविलम्ब घटना स्थल पर पहंचें और अग्निकांड से प्रभावित परिवारों के बीच सरकार द्वारा निर्धारित मानदर के अनुरूप 24 घंटे के अन्तर्गत पीड़ितो को राहत सामग्री मुहैया कराना सुनिश्चित करें। अंचलाधिकारी अग्निकांड की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी को सूचित करेंगे।

अंचलाधिकारी द्वारा किये गये साहाय्य कार्यों का पर्यवेक्षण अुनमंडलाधिकारी या जिला स्तरीय पदाधिकारी करेंगे। जिलाधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्त ऐसे पदाधिकारी अग्निकांड से हुई क्षति एवं किये गये साहाय्य कार्य का विवरण जिलाधिकारी को सौपेंगे ताकि सरकार को 24 घंटे के भीतर जिलाधिकारी सरकार को वस्तुस्थिति से अवगत करा सकें।

भारत सरकार के केन्द्रीय कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय के पत्रांक 3-9 / 2000 - एन.डी.एम. दिनांक 21 अगस्त, 2001, केन्द्रीय गृह मंत्रालय के पत्रांक 32-3/2003-एन. डी.एम. - दिनांक 23.04.2003 एवं पत्रांक 32-22 / 2004 एन.डी.एम. - 1 दिनांक 15.09.2004 एवं 23.11.04 पत्रांक 32-34/2005-एन.डी.एम.-1 दिनांक 27.06.07 के द्वारा आपदा राहत कोष (सी.आर.एफ)एवं राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एन.सी. सी.एफ) के तहत प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों के बीच साहाय्य वितरण के लिए प्रावधान एवं आपदा प्रबंधन विभाग (बिहार) के पत्रांक 1085 आ.प्र. 16.07.05, विभागीय पत्रांक 3162 दिनांक 18.11.2006 एवं पत्रांक 1132 दिनांक 04.04.07 एवं पत्रांक 2462 आ. प्र. दिनांक 12/08/07 ।

10

बाढ़ से प्रभावित परिवारों को साहाय्य
(Relief for Flood Affected Families)

केन्द्र सरकार द्वारा प्राकृतिक आपदा बाढ़ के कारण मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे के सभी परिवारों एवं गरीबी रेखा से ऊपर के वैसे पारिवारों जो साहाय्य प्राप्त करने के लिए इच्छुक हों को राहत प्रदान करने के लिए समय-समय पर केन्द्र सरकार दिशा - निर्देश जारी करती रहती है।

केन्द्र सरकार के आपदा राहत कोष (सी.आर.एफ)एवं राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि(एन.सी.सी.एफ) द्वारा जारी निर्देशों के तहत वर्ष 2005 से 2010 तक के लिए प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों के बीच विभिन्न मदों में 27.06.2007 के प्रभाव से निम्न प्रकार साहाय्य वितरण किये जाने का प्रावधान है।

1. क) (I) बाढ़ से मृत्यु होने पर मृतक के आश्रित को अनुदान - एक लाख रूपये

(II) बाढ़ के समय साहाय्य तैयारी या पूर्व तैयारी में लगे सरकारी कर्मी/साहाय्य कर्मी की मृत्यु होने पर आश्रित को अनुदान - एक लाख रूपये

ख) हाथ-पैर या आंखों के क्षति होने पर प्रति व्यक्ति अनुग्रह अनुदान का भुगतान

- 40 प्रतिशत के बीच विकलांगता होने पर - 35,000 रूपये

- 75 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के बीच विकलांगता होने पर - 50,000 रूपये

ग) यदि गंभीर चोट के कारण अस्पताल में भर्ती होना पड़े तो

- एक सप्ताह से अधिक अस्पताल में भर्ती रहने पर - 7500 रूपये

- एक सप्ताह से कम अस्पताल में भर्ती रहने पर - 2500 रूपये

घ) वृद्ध, अपाहिज के लिए अनुदान - 20 रूपये प्रति व्यस्क प्रतिदिन

निःसहाय बच्चों के लिए अनुदान - 15 रूपये प्रति बच्चा प्रति दिन

ङ) बाढ़ से घर बह जाने, एक सप्ताह से अधिक जलप्लावित रहने या आपदा से पूर्णतया क्षतिग्रस्त होने पर अनुदान - कपड़ा के लिए - 1000 रूपये प्रति परिवार

- बर्त्तन / घरेलू सामान के लिए - 1000 रूपये प्रति परिवार

बाढ़ प्रभावित ..... परिवारों को साहाय्य

खाद्यान्न के रूप में राहत :- एक माह के लिए मुफ्त खाद्यान्न के रूप में प्रति बाढ़ प्रभावित परिवार को राशन के लिए एक क्विंटल खाद्यान्न यानी 50 किलो गेहूं एवं 50 किलो ग्राम चावल दिये जाने का प्रावधान है।

लघु एवं सीमांत कृषकों / खेतिहर कृषकों के मवेशियों (पशुओं) की बाढ़ से क्षति होने पर पशुओं के प्रतिस्थापन हेतु साहाय्य राशि :-

दुधारू जानवर के लिए यथा (I) भैंस / गाय / ऊंट / याक इत्यादि - 10 हजार रूपये

(II) भेंड़ / बकरी - 1000 रूपये की दर से ।

दुध नहीं देने वाले जानवर (खेती या ढुलाई में उपयोगी) के लिए

I) ऊंट / घोड़ा / बैल इत्यादि - 10 हजार रूपये की दर से ।

II) बछड़ा / गदहा और टट्टू - 5,000/- रूपये की दर से ।

ध्यान रहे कि राहत राशि उत्पादक जानवरों की वास्तविक क्षति के अनुसार सीमित होगी जो एक बड़े दुधारू / अदुग्धकारी जानवर या 4 छोटे दुधारू जानवर / दो छोटे अदुग्धकारी जानवर प्रति परिवार तक सीलिंग के अंतर्गत होगी अर्थात पशुओं की क्षति के लिए एक परिवार को अधिकतम साहाय्य राशि 10,000 रूपये तक होगी।

बाढ़ से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मति और पुनर्स्थापन हेतु सहायता

क) पूर्णतया क्षतिग्रस्त / बर्बाद मकान के लिए सहायता

I) पक्का मकान के लिए - 25,000 रूपये प्रति मकान

II) कच्चा मकान - 10,000 रूपये प्रति मकान

ख) आपदा से अत्यधिक क्षतिग्रस्त मकान के लिए सहायता

I) पक्का मकान के लिए - 5,000 रूपये प्रति मकान

II) कच्चा मकान के लिए - 2,500 रूपये प्रति मकान

ग) आंशिक रूप से क्षतिग्रसत मकान के लिए सहायता :- पक्का / कच्चा दोनों (झोपड़ी को छोड़कर) - 1500 रूपये प्रति मकान

घ. झोपड़ी के क्षतिग्रस्त / बर्बाद होने पर - 2000 रूपये प्रति मकान

बाढ़ से प्रभावित परिवारों को अन्य मामलों में मिलने वाली साहाय्य राशि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों के लिए निर्धारित मानदरों के समान है। (पृष्ठ 44-49 देखें)